न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 117/2018 (225 आरटीए) ईश्वरसिंह वगै. बनाम अजीज खां वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2018/00254)

1 ईश्वरसिंह पुत्र सोमकरण जाति चारण निवासी गोगावा, तहसील आहोर जिला जालोर।
2 जेठूसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी पचानवा तहसील उम्मेदपुर जिला जालौर।

..... अपीलांटस्

बनाम

1 अजीज खां पुत्र सुभान खां,
2 हसन फारूख पुत्र सुभान खां,
3 मेहरखातु पत्नी मुसे खां, जातियान मुसलमान, निवासियान गणेशनगर।
4 सरपंच ग्राम पंचायत चाखू।
5 राजस्थान प्रा. वि. भराड़िया नाडा।
6 शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. शाखा कानसिंह की सिड।
7 श्रीमान तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला जोधपुर।

..... रेस्सपोडेंटस्

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर बाप
दिनांक 10.07.2018 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 79/2018

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री दीपक चांडक।
2 रेस्पो. सं. 1 से 3 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई।
3 रेस्पो. सं. 7 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।
4 रेस्पो. सं. 4 व 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 16.10.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर बाप के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 79/2018 में पारित आदेश दिनांक 10.07.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर बाप के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया एवं उसके साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र सं.

16/10
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

79/2018 पेश कर कथन किया कि अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स सं. 1 से 5 की सामलाती खातेदारी की भूमि खसरा नं. 442 रकबा 100 बीघा, खसरा नं. 442/1 रकबा 70 बीघा, खसरा नं. 442/2 रकबा 87 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं. 442/3 रकबा 70 बीघा कुल रकबा 327 बीघा 4 बिस्वा सरहद मौजा गणेशनगर पटवार क्षेत्र चाखू तहसील बाप जिला जोधपुर में स्थित है। उक्त भूमि में खसरा नं. 42 रकबा 100 बीघा में अपीलाट्स का संयुक्त रूप से 168/1056 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 का 7017/22000 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 का 57/176 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 का 14/88 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 19/1000 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 5 का 440/22000 हिस्सा तथा खसरा नंबर 442/2 रकबा 87 बीघा 4 बिस्वा में अपीलांट्स का संयुक्त रूप से 168/1056 हिस्सा, प्रतिवादी गण 1 का 63/176 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 57/176 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 का 14/88 हिस्सा एवं खसरा नं. 442/1 रकबा 70 बीघा व खसरा नं. 442/3 रकबा 70 बीघा में अपीलांट्स का सुक्त रूप से नाम दर्ज है। इसी अनुसार ही मौके पर अपीलांट्स व प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 काबिज चले आ रहे हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स का अपने हिस्से पर कब्जा काश्त लगातार शांतिपूर्ण चला आ रहा है। अपीलांट्स ने अपने हिस्से की भूमि पर अपने रहवासीय ढाणी, पानी का टांका, पशुओं के लिए बाड़ा इत्यादि बना रखा है। रेस्पोडेंट्स सं. 1 से 5 के मन में बदनियति जाग्रत हो जाने से एवं जमीन की कीमतों में अत्यधिक बढ़ जाने से रेस्पो. सं. 1 से 5 अपीलांट्स के हिस्से एवं कब्जे की भूमि पर कब्जा करने के लिए उतारू है। इसलिए रेस्पो. सं. 1 से 5 को जरिए कानून रोका जाना अति आवश्यक है। पटवारी हल्का के उक्त विवादग्रस्त भूमि के नक्शा ट्रेस में बिना विधिक आदेश के एवं बिना कानूनी प्रक्रिया के अपने विधि विरुद्ध तरीके से तरमीम कर दिया गया है। जो तरमीम मौके की स्थिति से संपूर्णतया भिन्न है। इसलिए अपीलांट्स ग्राम गणेश नगर पटवार क्षेत्र चाखू तहसील बाप के मूल खसरा नं. 442 के नक्शा ट्रेस में मौका स्थिति से भिन्न एवं विधि विरुद्ध तरीके से की गई तरमीम को निरस्त करवा कर शांति पूर्ण तरी के से कब्जा काश्त का निजी सुखाचार का अधिकारी है। रेस्पो. सं. 1 से 5 की उपरोक्त वर्णित गैर कानूनी गतिविधियों एवं पटवारी हल्का के उक्त विवादग्रस्त भूमि पर विधि विरुद्ध तरीके से तरमीम की कार्यवाही से ग्रसित होकर अपीलांट्स ने सहायक कलैक्टर कोर्ट बाप में राजस्व वाद सं. 79/2018 अंतर्गत धारा 53, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अंतर्गत दायर की इसके साथ ही अपीलांट्स ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की एक पक्षीय सुनवाई कर पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का पूर्ण रूप से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अवलोकन कर अपीलांट्स के अधिवक्ता की बहस पर मनन कर मामला अपीलांट्स के पक्ष में बनना पाया गया तथा अपीलांट्स के पक्ष में एवं रेस्पो. सं. 1 से 5 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम गणेशनगर, पटवार क्षेत्र चाखू तहसील बाप के खसरा नं. 442 रकबा 100 बीघा खसरा नं. 442/1 रकबा 70 बीघा, खसरा नं. 442/3 रकबा 70 बीघा एवं खसरा नं. 442/2 रकबा 87 बीघा 4 बिस्वा कुल रकबा 327 बीघा 4 बिस्वा भूमि में चले आ रहे प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक कबजा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 स्वयं करे तथा ना ही किसी अन्य से करावें व उक्त भूमि की मौके पर राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाए रखे जाने हेतु पाबंद रहेंगें। इसके पश्चात उपरोक्त वाद माननीय सहायक कलेक्टर के समक्ष दिनांक 26.06.2018 एवं 05.07.2018 को लिस्टेड हुआ। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 एवं 5 की ओर से इस दौरान जरिए वकील वकालतनामा पेश किया गया एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा जवाब के लिए समय मांगा गया। दिनांक 10.07.2018 को पत्रावली पुनः श्रीमान सहायक कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत हुई तथा पुनः अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा बहस के लिए समय चाहा गया तथा श्रीमान सहायक कलेक्टर बाप द्वारा बिना किसी पक्ष की बहस सुने सिर्फ अपने मन की अवधारणा के आधार पर यह आदेश पारित किया गया कि "प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि सार्वजनिक हित का मामला होने से दिनांक 31.05.2018 को जारी स्थगन आदेश आगे नहीं बढ़ाया जाता है।" तथा बहस हेतु पत्रावली दिनांक 24.07.2018 को रख दी। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2018 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री दीपक चांडक ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 में जोत के विभाजन की प्रक्रिया वर्णित है धारा 53(2) में किसी जोत के विभाजन के दो तरीके बताए हैं। पहला सह अभिधारियों के बीच करार द्वारा, दूसरा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री या आदेश द्वारा। लेकिन पटवारी हल्का ने धारा 53 में वर्णित जोत के विभाजन के तरीके से विधि विरुद्ध तरीके से तरमीम कर दिया गया इस प्रकार इस तरमीम की कानूनन रूप से कोई वैधानिकता नहीं होने से निरस्त होने योग्य है।

पटवारी हल्का द्वारा विवादग्रस्त भूमि के नक्शा ट्रेस में बिना विधिक आदेश के एवं बिना बंटवारे से विधि विरुद्ध तरीके से तरमीम कर दिया गया जो तरमीम मौका स्थिति से भिन्न है इसलिए अपीलांट्स ग्राम गणेशनगर

16/7
राजस्व अपील प्राधिकारी

पटवार क्षेत्र चाखू तहसील बाप के मूल खसरा नं. 442 कि नक्शा ट्रेस मौके की स्थिति से भिन्न एवं विधि विरुद्ध तरीके से की गई तरमीम को निरस्त करवाकर खसरा नं. 442 रकाब 100 बीघा, खसरा नं. 442/1 रकबा 70 बीघा खसरा नं.442/3 रकबा 70 बीघा व खसरा नं. 442/2 रकबा 87 बीघा 4 बिस्वा कुल रकबा 327 बीघा 4 बिस्वा भूमि कमें अपने एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 के हिस्से अनुसार उकत भूमि का बंटवारा एवं तरमीम बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स में करवा कर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खाते अलग–अलग दर्ज करवाने का एवं इसी अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम करवाने का अधिकारी है। रेस्पोडेंट सं. 1 से 5 धमकी देते हैं कि हम तुम लोगों को तुम्हारी भूमि से बेदखल करके ही रहेंगें। अगर रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 अपने नापाक इरादों में सफल हो जाते हैं तो अपीलांट्स को अपने खातेदारी अधिकारों के सदुपयोग से वंचित रहना पड़ेगा। तथा अपूर्णनीय क्षति का सामना करना पड़ेगा। अधीनस्थ न्यायालय ने चार पंक्तियों के आदेश में अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 31.05.2018 को बिना किसी तथ्य एवं कानून का जिक्र किए आगे बढ़ाने से मना कर दिया गया। आदेश दिनांक 10.07.2018 की प्रथम पंक्ति में कहा गया है कि उपस्थिति पक्षकारान बहस हेतु समय चाहते हैं और फिर बिना किसी बहस को सुने बिना पत्रावली का अवलोकन किए बिना अपने विधिक मस्तिष्क का प्रयोग किए बिना सिर्फ एक लाइन में यह कह दिया कि सार्वजनिक हित का मामला है एवं इस आधार पर स्थगन आदेश आगे नहीं बढ़ाया। विद्वान सहायक कलेक्टर द्वारा आदेश दिनांक 10.07.2018 में बताए अनुसार यह मामला सार्वजनिक हित का है लेकिन इसके पीछे किसी अन्य तथ्या का वर्णन नहीं किया है तथा किन दस्तावेजों के आधार पर इस मामले को सार्वजनिक हित का मामला बताया गया है यह भी वर्णित नहीं किया है। यह विधि का सेटल्ड लॉ है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को पारित करने लिए यह नहीं देखा जाता है कि माामला सार्वजनिक हित का है या किसी व्यक्तिगत हित का जबकि काननून रूप से तीन बातों को देखा जाता है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णनीय क्षति। लेकिन श्रीमान सहायक कलेक्टर बाप ने कानून के किसी भी बिंदु को ध्यान में रखे बिना केवल एक पंक्ति में स्पीकिंग आदेश पारित किए बिना स्थगन आदेश को आगे बढ़ाने से मना कर दिया। इस आदेश से अपीलांट्स को रेस्पो. सं. 1 से 5 स्वयं द्वारा या किसी अन्य असामाजिक तत्वों द्वारा बलपूर्वक बेदखल कर दिया गया तो अपीलांट्स के खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होगा एवं अपूर्णीय क्षति होगी तथा संपूर्ण वाद का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलांट्स–प्रार्थीगण के पक्ष में हैं अतः सहायक कलेक्टर बाप के आदेश दिनांक 10.07.2018 को निरस्त कर आदेश दिनांक 31.05.2018 को प्रार्थना पत्र सं. 79/2018 के अंतिम निर्णय तक पुनर्स्थापित करवाने का आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पारित कर उक्त भूमि के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित करने की कृपा करें। अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेस्पो. सं. 1 से 5 के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि राजस्व ग्राम गणेशनगर, पटवार क्षेत्र चाखू तहसील बाप के खसरा नं. 442 रकबा 100 बीघा खसरा नं. 442/1 रकबा 70 बीघा, खसरा नं. 442/3 रकबा 70 बीघा एवं खसरा नं. 442/2 रकबा 87 बीघा 4 बिस्वा कुल रकबा 327 बीघा 4 बिस्वा भूमि में चले आ रहे प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक कबजा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 स्वयं करे तथा ना ही किसी अन्य से करावें। अपीलांट की अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध होते हुए भी मैंटेनेबल है। धारा 225 के तहत पारित किसी भी आदेश की अपील की जा सकती है। अतः अपील स्वीकार करने का निवेदन किया। अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2012 राज.कैंडिड 1529, एस.बी.सिविल रिट पिटीशन नं. 1340/2015 निर्णय दिनांक 20.07.2015, एस.बी.सिविल रिट पिटीशन नं. 5457/2010 निर्णय दिनांक 02.09.2011, रिवीजन नं. 5344/2015/टीए/कोटा निर्णय दिनांक 27.06.2016 पेश किए।

5 रेस्पो. सं. 1 से 3 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई ने बहस में कथन किया कि यह अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध की गई है इस कारण मैंटेनेबल नहीं हैं। इस प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जबाब पेश हो चुका था उसके बाद वकील बहस नहीं करना चाहते थे अतः एक पक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश को नहीं बढ़ाया है तथा मूल प्रार्थना पत्र बहस के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेंडिंग है। ऐसी स्थिति में यह अपील मैंटेनेबल नहीं हैं तथा इसी आधार पर खारिज किए जाने योग्य है। रेस्पो. के अधिवक्ता अपील की मैरिट बहस करते हुए कथन किया कि खसरा नं. 442 प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है परंतु खसरा नं. 442/1 व 442/3 के खातेदार प्रार्थीगण ही हैं अप्रार्थीगण का कोई संबंध नहीं हैं। खसरा नं. 442/2 की भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की है। प्रार्थीगण का किसी भी खसरा की भूमि पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा काश्त नहीं हैं और न ही कभी रहा। प्रार्थीगण के नाम वादग्रस्त भूमि का हिस्सा किसी कंपनी का है और प्रार्थीगण कने मान बेनामी दर्ज करवा रखी है। प्रार्थीगण अविभाजित भूमि के किसी निश्चित भू–भाग पर अपना एक्सक्लूसिव पजेशन नहीं बता सकते। प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि की निश्चित सीमाओं का ज्ञान नहीं हैं। प्रार्थीगण महज किसी कंपनी के ऐजेंट हैं तथा उनका वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध सरोकार नहीं हैं खाते में दर्ज माफिक मौके पर तरमीम नहीं हैं। प्रार्थीगण ने वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र में रहवासीय ढाणियां, पानी का टांका, पशुओं के बाड़े और अपने परिवार सहित बारह ही मास वादग्रस्त भूमि में आवास होने, प्राकृतिक एवं बुवाई

16/10
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कर पैदावार का उपयोग उपभोग करने, खाद बीज डाल कर आधुनिक तरीके से सुधार करने समस्त तथ्य सरासर गलत मनगढ़त एवं बेबुनियाद वर्णित किए हैं प्रार्थीगण का वास्तव में वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त ही नहीं रहा और न ही कंपनी की हिस्से की भूमि की गांव में स्थिति की सीमाओं की जानकारी तक ही है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई वास्तविक हित भी नहीं हैं। दिनांक 03.05.2018 को प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि की सार संभाल रकने के वक्त अप्रार्थीगण द्वारा एकराय होकर प्रार्थीगण की भूमि पर अपने व बेदखल करने की धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है यद्यपि वादग्रस्त भूमि का का विधिवत कोई विभाजन ही नहीं हुआ है तो प्रार्थीगण अपने हिस्से कोई निश्चित सीमाओं को अपने हिस्से की भूमि होना नहीं बता सकते। राजस्व विधि के सिद्धांत के माफिक कोई हिस्सेदार अन्य हिस्सेदार की भूमि पर कोई रोक एवं निषेधाज्ञा जारी नहीं करवा सकता। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सरासर गलत एवं आधार हीन है। प्रार्थीगण के अधिकारों पर कोई कुठाराघात नहीं होता है एव ं न कोई अपूर्णीय क्षति होने का प्रश्न ही पैदा होता है। प्रार्थीगण ने सरासर झूठा एवं गलत स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा खसरा नं. 442 में से अपने हिस्से में से 440/22000 हिस्सा भूमि राजकीय प्राथमिक विद्यालय भराडीया नाडा पंचायत समिति बाप को विद्यालय निर्माण हेतु बख्शीश किया है, गांव के कुछ असामाजिक ग्रुप के व्यक्तियों के कहने एवं बरगलाने से प्रार्थीगण ने विद्यालय निर्माण के कार्य को रोकने एवं अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की गरज से गलत वाद पेश किया है, स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रार्थीगण (वादीगण) का कानून में चलने योग्य नहीं हैं। अत अपील अपीलांट मैरिट पर भी खारिज योग्य है तदनुसार अपील खारिज करने का निवेदन किया।

6 रेस्पो. सं. 7 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार न्यायोचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 इस प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति यह है कि यह अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध की गई है। इस न्यायालय की राय में यह अपील मैंटेनेबल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जबाब पेश हो चुका था उसके बाद उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण द्वारा बहस हेतु समय चाहने से एवं मामला सार्वजनिक हित का होने से पूर्व पारित एक पक्षीय अंतरिम आदेश को आगे नहीं बढ़ाया गया है। प्रकरण में अप्रार्थी सं. 4 की तलबी भी बाकी है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आगामी सुनवाई की तारीख 24.07.2018 नियत की गई थी लेकिन उससे पूर्व ही दिनांक 23.07.2018 को अपीलांट द्वारा अपील इस न्यायालय में पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने

16/7

राजस्व अपील प्राधिकारी

उभयपक्षकारान वकील द्वारा बहस नहीं करने से अंतरिम आदेश को नहीं आगे नहीं बढ़ाया है। अंतरिम आदेश को आगे नहीं बढ़ाना आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वास्ते तलबी एवं बहस हेतु लंबित है। अतः इस प्रकार के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में अपील मैंटेनेबल नहीं होना पाई जाती है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीरें एवं निर्णयों के तथ्य इस प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते हैं। अतः अपील खारिज योग्य है।

9 अतः अपील अपीलांट मैंटेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है। न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुना जाकर प्रार्थना पत्र को 2 माह की अवधि के भीतर अंतिम निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उभयपक्षकारान को भी पाबंद कर निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.10.2018 को उपस्थित रहें।

16/10/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

10 निर्णय आज दिनांक 16.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/10/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर